

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (सज0)

19.05.25

पत्रावली पेश हुई। सायल की ओर से कोई उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगवाई गई। बार - बार आवाज लगवाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। मूल वाद भी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के अभाव में इस पत्रावली पर कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र भी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (सज0)